कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 29-04-2025

विषयः- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा अपराध व यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत गोमती जोन की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मंदिरों और प्रमुख पर्यटक स्थलों पर फेरीवालों एवं भिक्षुकों के वेश में रह रहे रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी नागरिकों की संभावित उपस्थिति को देखते हुए विशेष चेकिंग के दिये गये आदेश, ऐसे लोगों का पूर्ण सत्यापन कर अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों के विरुद्ध की जाये विधिक कार्यवाही।
- सड़कों व रेल पटरियों के किनारे, गांव के बाहरी क्षेत्रों, पार्कों व खुले मैदानों में निवास कर रहे लोगों का सत्यापन कर उन्हें चिन्हित करते हुए नियमानुसार हटाया जाए। बिना सत्यापन कराये किसी को न दे किराये पर अपना मकान।
- गंगा नदी के घाटों, बीएचयू परिसर एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की बिक्री या सेवन न हो, शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही।
- गौ-तस्करी, अवैध शराब, मादक पदार्थों व अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले व्यक्तियों व गिरोहों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं पूर्व में गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।
- ऑनलाइन सट्टा व जुएं के नेटवर्कों की पहचान कर कठोर कार्यवाही की जाए। ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की जाये।
- होटल, लॉज, ढाबा आदि स्थलों पर किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधियां पायी जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये। इस हेतु सभी थाना प्रभारियों को नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।
- रात्रिकालीन गश्त पूरी सतर्कता और अनुशासन के साथ की जाये। रात्रिगश्त के दौरान पुलिसकर्मी दर्ज करे प्रभावी उपस्थिति, अनिवार्य रूप से सीटी (व्हीसल) का करें प्रयोग।

- **'ऑपरेशन-चक्रव्यूह' के अंतर्गत प्रमुख चौराहों, सीमावर्ती मार्गों व संवेदनशील स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाये। अभियान के तहत बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर हो शत-प्रतिशत कार्यवाही।**
- **लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, कोई भी विवेचना दो माह से अधिक लंबित न रहे।**
- **ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध पर प्रभावी कार्यवाही हेतु महत्वपूर्ण स्थानों, बाजारों एवं मार्गों को चिन्हित कर वहाँ CCTV कैमरों की स्थापना के लिए ग्राम प्रधानों व सम्मानित नागरिकों से संपर्क कर जागरूक व प्रेरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**
- **पुलिसकर्मियों को संवेदनशीलता, पेशेवर आचरण एवं उच्च नैतिकता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया है; जनता से दुर्व्यवहार करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।**

आज दिनांक 29-04-2025 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा यातायात लाइन स्थित सभागार में गोमती जोन के अपराध व यातायात व्यवस्था के संबंध में वरूणा जोन के थाना/चौकी प्रभारियों व बीट उप निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में अपराध, कानून-व्यवस्था व यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त श्री राजेश कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त (गोमती) श्री आकाश पटेल, पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री सरवणन टी., अपर पुलिस उपायुक्त (प्रोटोकॉल एवं मुख्यालय) श्री सुशील कुमार गंगा प्रसाद व गोमती जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी व बीट उपनिरीक्षक उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।